

**Chief Municipal Officer
Nagar Palika Parishad Shajapur
District Shajapur (M.P.)**

Regd. Office : Plot No. 401, 402, 413, Sector-III, Industrial Area,
Pithampur-454 774 (M.P.) Website : www.shaktipumps.com

By order of the Board
For : **Shakti Pumps (India) Limited**
Sd/-
Dinesh Patidar (Managing Director)
DIN : 00549552

By order of the Board
Tirupati Starch and Chemicals Limited
Ramdas Goyal
Chairman and Managing Director

Place : INDORE
Date : 25.08.2015

er

नार
नयुक्त
व विभाग
अपने चंगुल
एसपी लोकायुक्त
का कहना है कि
भूपेन्द्र सिंह यादव द्वारा
पटवारी सुधीर तिवारी के
फ शिकायत दर्ज कराई थी।

अनुकूल वातावरण

को यहाँ निवेशकों से गुलाबगढ़ के
श्री योहान से मिलने वाले निवेशकों में
मैनेजिंग अडिक्टर अल राजवानी और
मन्त्री श्री योहान ने कहा कि प्रदेश में
निवेशकों के लिए सिंगल डोर पॉलिसी
लाया कि मल्टीनेशनल कंपनी प्रॉक्टर
ए का निवेश किया है। कलानी द्वारा
मिडिल एग्जोटिक के श्री मुखर्जी ने बताया
कि एसडीएफ युनिट की स्थापना
ई रोजगार मिलेगा।

सहारे डैक सेवक, एसटीएफ ने दर्ज की रिपोर्ट

ल की फर्जी
सेवक के पद
फ एसटीएफ
में एसटीएफ
पत्र प्राप्त हुए
पर मप्र राज्य
आधार पर
भी गई थी। इन
ट आफिस के
माग, छतरपुर
संभा, रीवा संभाग, दमोह संभाग में ग्रामीण डैक
सेवक चयन हेतु विभाग द्वारा वर्ष 2012-2013 में
विज्ञापित जारी की गई थी। जिसमें कक्षा 10वीं में मेरिट
के आधार पर चयन होना था। उक्त पद पर चयन हेतु
अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न जिलों में आवेदन देकर राज्य
ओपन स्कूल भोपाल की वर्ष 2012 एवं वर्ष 2013
की फर्जी अंकसूचियों का उपयोग किया गया था। अभी
तक की जाँच पर दमोह के 12 और सागर के 6 फर्जी
अभ्यर्थियों के विरुद्ध थाना एसटीएफ भोपाल में
अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

ड की घटनाएं, पुलिस क छाप मजनुं

गाने 11। इसलिए 354
ग्राइपीसी में अलग-अलग
क्वशन बनाकर इसे गंभीर
मपराधों की श्रेणी में ला दिया
या। पहले अक्सर यह देखने में
आता था कि महिलाओं की
आकायत पुलिस नहीं लिखती थी
और दोनों पक्षों को समझाकर
सलता कर दिया जाता था।

महिला से तीन दमाशों ने की मारपीट

भोपाल के जहांगीराबाद थाना
त्र में आपसी विवाद के चलते
न बदमाशों ने मिलकर एक

महिला के साथ जमकर मारपीट
की। पुलिस-ने महिला की
शिकायत पर चार आरोपियों के
खिलाफ छेड़छाड़, मारपीट, अजा
एक्ट समेत अन्य धाराओं में
मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस
ने बताया कि 38 वर्षीय विवाहिता
बापू कॉलोनी में रहती हैं। इसी
कॉलोनी में रहने वाले शोएब और
अन्य दो युवकों ने मिलकर उससे
मारपीट शुरू कर दी। घटना कल
शाम करीब 6 बजे की बताई जा
रही है। पुलिस ने विवाहिता की
शिकायत पर आरोपियों के
खिलाफ मामला दर्ज कर सरगम
से तलाश शुरू कर दी है।

जयप्रताप सिंह ने संगठन के सभी स्तरों पर चुनाव की सदस्यता सूची के आधार पर किये जायेंगे।

को संकेत दिया है और बताया
कि संगठन के चुनाव की तिथियों
का अंतिम रूप से जल्द ही प्रदेश
पदाधिकारियों से चर्चा करने के
बाद निर्धारण किया जायेगा। इसमें
तीज-त्योहारों की व्यस्तता और
अन्य जनसुविधा को ध्यान में
रखा जायेगा। उन्होंने बताया कि
पार्टी की संगठन की बुनियादी
इकाई पंचायत के स्थान पर अब
मतदान केन्द्र समिति होगी। इस
दृष्टि से प्रथम चरण में 54816
मतदान केन्द्र समितियों के चुनाव
होगे। इसके लिए अनुमानतः 20
सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच 3
से 4 चरणों में चुनाव किया
जायेगा। इसकी घोषणा प्रदेश
संगठन की सहमति के बाद की
जायेगी। उन्होंने बताया कि
प्रारंभिक चर्चा के अनुसार 757
मंडलों की समितियों के चुनाव 6
से 20 अक्टूबर के बीच तीन से
चार चरणों में कराये जा सकते



तिरुपति स्टार्च एवं केमिकल्स लिमिटेड

CIN: L15321MP1985PLC003181

पंजीकृत कार्यालय: प्रथम तल, श्रीराम चेंबर, 12, अग्रवाल नगर,
इन्दौर (म.प्र.) फोन: 2405001, 2405002 फैक्स: 0731-2405000
ई-मेल: tirupati@tirupatistarch.com वेबसाइट: www.tirupatistarch.com

वार्षिक साधारण सभा, ई-वोटिंग व बुक क्लोजर की सूचना

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि तिरुपति स्टार्च एवं केमिकल्स लिमिटेड (कंपनी)
के सदस्यों को 29वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) बुधवार, 30 सितम्बर 2015
को दोपहर 1.00 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय प्रथम तल, श्रीराम चेंबर,
12, अग्रवाल नगर, इन्दौर (म.प्र.) में आयोजित की जाएगी, जिसमें सदस्यों को
व्यक्तिगत रूप से भेजी गई सूचना में वर्णित व्यवसाय को निष्पादित किया जायेगा।
31.03.2015 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए कंपनी की अंकेषित लेखाओं सहित वार्षिक
रिपोर्ट ऐसे शेयरधारकों को ई-मेल आईडी पर भेजी गई है, जिनके ई-मेल आईडी
कंपनी में पंजीकृत है तथा साथ ही उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट
www.tirupatistarch.com पर भी प्रकाशित है। भौतिक प्रति ऐसे शेयरधारकों को
भेजी गई है जिनके ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं है तथा साथ ही वह उन्हें भी भेजी गई
है जिन्होंने उसकी प्रति का अनुरोध किया है।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 91 और उसके तहत लागू नियमों के अनुसार एतद
द्वारा यह भी सूचित किया जाता है कि सदस्यों के रजिस्टर तथा कंपनी की शेयर
अंतरण पुस्तकें शनिवार, 24 सितम्बर 2015 से बुधवार, 30 सितम्बर 2015 (दोनों
दिवस शामिल) तक, 29वीं वार्षिक साधारण सभा करने के उद्देश्य से बंद रहेंगे।

कंपनी के सदस्यों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम 2013
की धारा 108 और उसके तहत लागू कंपनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियमावली, 2014
के यथा संशोधित नियम 20 तथा सूचीयन अनुबंध के क्लॉज 35बी के अनुसार इस
कंपनी में सूचना में निर्दिष्ट सभी प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपना मतदान
करने के लिए सदस्यों को सुविधा उपलब्ध कराई है।

टिप्पणी:

- व्यवसाय को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा मतदान किया जा सकेगा।
- दूरस्थ ई-मतदान प्रारंभ करने की तारीख और समय: शनिवार, 27 सितम्बर
2015 प्रातः 10 बजे से।
- दूरस्थ ई-मतदान समाप्त करने की तारीख और समय: मंगलवार, 29 सितम्बर
2015 सायं 5 बजे तक।
- निर्णायक तारीख: बुधवार, 23 सितम्बर 2015
- यदि कोई सदस्य ए.जी.एम. सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी की सदस्यता अर्जित
करते हैं तथा कंपनी का सदस्य बनते हैं तथा निर्णायक तिथि अर्थात् बुधवार,
23 सितम्बर 2015 को शेयर धारित करते हैं। यदि उनके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स
के पास उसका पैन अपडेट है, तो उन्हें ए.जी.एम. की सूचना में दी गई लॉगिन
आईडी तथा पासवर्ड बनाने की प्रक्रिया का अनुसरण करना होगा। लेकिन, ऐसे
सदस्यों जिन्होंने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास अपना पैन अपडेट नहीं किया
हो, उनका लॉगिन आईडी तथा सिक्सेस न पासवर्ड निर्माण के लिए इलेक्ट्रॉनिक
माध्यमों अथवा भौतिक पद्धति से अलग से भेजा जायेगा। यदि ऐसे व्यक्ति
ई-वोटिंग के लिए सी.डी.एस.एल. के पास पहले से पंजीकृत हैं तो मतदान करने
के लिए वर्तमान यूजर आईडी तथा पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।

- सदस्य कृपया ध्यान रखें।
- मंगलवार, 29 सितम्बर 2015 को सायं 5 बजे के बाद ई-मतदान की अनुमति
नहीं दी जाएगी।
- मतदान पत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा ए.जी.एम. में उपलब्ध कराई जाएगी
तथा सभा में उपस्थित होने वाले ऐसे सदस्य जिन्होंने ई-वोटिंग द्वारा मतदान नहीं
किये हो, वे मतदान पत्र के माध्यम से मतधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।
- कोई भी सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना मतदान कर लेने के
बावजूद भी इस साधारण सभा में भाग ले सकते हैं, लेकिन सभा में उन्हें फिर से
मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- जिन सदस्यों का नाम निर्णायक तिथि को डिपॉजिटरीस द्वारा प्रबंधित लाभ भोगी
स्वामियों के रजिस्टर में अथवा सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज है, वे ही रिमोट
ई-वोटिंग के साथ ही साथ साधारण वार्षिक सभा में मतदान की सुविधा का लाभ
उठाने के लिए अधिकृत होंगे।
- कंपनी तथा एजेंसी की वेबसाइट का पता जहां सभा की सूचना प्रदर्शित है:
www.tirupatistarch.com तथा www.evotingindia.com.
- इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान की सुविधा से संबंधित शिकायतों के निराकरण
के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का नाम, पद का नाम, पता, ई-मेल आईडी तथा
फोन नंबर:

सिद्धार्थ शर्मा (कंपनी सेक्रेटरी)

प्रथम तल, श्रीराम चेंबर, 12, अग्रवाल नगर, इन्दौर (म.प्र.)
फोन: 0731-2405001, 2405002, फैक्स: 0731-2405000
ई-मेल: tirupati@tirupatistarch.com

स्थान : इन्दौर
दिनांक : 25.08.2015

बोर्ड के आदेश से
तिरुपति स्टार्च एवं केमिकल्स लिमिटेड
रामदास गोयल
प्रबंध निदेशक

VERGANCE

Chottha Sansan

Encluse- 8/9/15